FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु .... मुकाम ....

खेथाराम .... बनाम .... चेताराम वगैरा

किस्म मुकदमा राह आवेदन .... नं. .... सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02/9/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिणछाराम सियोल ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 18/10/19 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
18/10/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनको करीब 30 दिन से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। विप्रार्थीगण अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5:45 pm पर लगाई गई विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया की प्रार्थी के खातेदारी खेत के सेवा मेढ विप्रार्थी	

खिवदान 18.10.2019

/वाद/2019

गणों के खेत आये हुए है। प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों
के मेडो पर जो पुरानी माडे व डोले थे जो वर्तमान में
आंधियों की वजह से बिखर गये है जिसके कारण
प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों के मेडों का सही ज्ञान नहीं
हो रहा है तथा मेडो पर किसी प्रकार की कोई कच्ची
पक्की माडे या चिन्ह आदि नहीं होने से विपक्षीगण
प्रार्थी के कब्जा शुदा खेत का जबरदस्ती तोड़ लेते है।
देते है एवम् बरसात होने पर काश्त कर लेते है।
जिससे प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य तनाजा बना
रहता है। प्रार्थी इस कारण अपने खातेदारी खेतों की
पक्की पैमाइश करवाना चाहता है इसलिए प्रार्थी
द्वारा प्रस्तुत पैमाइश आवेदन को स्वीकार किया
जाकर पैमाइश आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन
पर प्रार्थी का पैमाइश आवेदन स्वीकार किया
जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया
जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या
अपने अधिनस्थ कर्मी गि० भू० अभिलेख निरीक्षक
से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की पैमाइश
मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा करवाकर करे। पालना
रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। आदेश
[illegible] से लिखा जाकर शामिल पत्रावली [illegible]
पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम
हो, दाखिल दफ्तर हो।

[signature]
18.10.2019

राजस्थान सरकार

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी बायतु

...ांक/वाद/2019/784 दिनांकः—......................

प्रार्थी बनाम विप्रार्थीगण

खरथाराम पुत्र मोतीराम जाति जाट
निवासी उदरमोणियों की ढ़ाणी

खेताराम पुत्र मोटाराम वगैरा
निवासी उदरमोणियों की ढ़ाणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 292/2019

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा उदरमोणियों की ढ़ाणी पटवार हल्का पूनियों का तला तहसिल गिड़ा जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 322, रकबा 138.02 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लियाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 भू0,रा0,अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है व तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिश्नर स्वंय या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर निर्धारित कमिश्नर शुल्क रूपये 500/— जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश बसरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) सत्यमेव जयते बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

कमांक/वाद/2019/785-89 दिनांकः—18/10/19

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी पूनियों का तला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री खरथाराम पुत्र मोतीराम
4. विप्रार्थीगण खेताराम पुत्र मोटाराम वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना बायतु/गिड़ा

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु